क्रमांक 1273-ज(II)-80/32083.--श्री ठाकुर सिंह, पुत्र श्री निहाल सिंह गांव खेड़ी शर्फअली, तहसील कैथल, जिला करनाल की दिनांक 12 मार्च, 1977 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध जागीर पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 व 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री ठाकुर सिंह की मुवक्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 701-R(IV)-66/875, दिनांक 30 मार्च, 1967 तथा 5041-आर (III)-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गयी थी अब उसकी विधवा श्रीमती आत्म कोर के नाम खरीफ, 1977 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गयी शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 15 सितम्बर, 1980

क्रमांक 1230 ज-II)-80/32839.--श्री हरिकिशन, पुत्र श्री दयाराम, गांव टीकली, तहसील व जिला गुड़गांव की दिनांक 15 जनवरी, 1979 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री हरी किशन की मुक्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1626-र (III)-69/10775, दिनांक 8 मई, 1969 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गयी थी, अब उसकी विधवा श्रीमती पारवती देवी के नाम खरीफ, 1979 से 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गयी शर्तों के अंतर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1385 (ज) (II)-80/32843.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती सरुपी देवी, विधवा श्री हजारी गांव बुवलधन, तहसील झज्जर, जिला रोहतक को रबी, 1972 से 150 रु० वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रु० वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गयी शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1383-ज-(II)-80/32847.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(I) तथा 3(I) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्य पाल निम्न-लिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके नाम के सामने दी गयी फसल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक	ज़िला	जागीर पाने वाले का नाम	गांव व पता	तहसील	फसल/वर्ष जब से जागीर दी गई	वार्षिक राशि
1	2	3	4	5	6	7
						रुपये
1	रोहतक	श्री सुखलाल, पुत्र श्री इन्द्रराज	धारोली	झज्जर	रबी, 1673 से खरीफ, 1979	150
					रबी, 1080	300
2	रोहतक	श्रीमती सरती देवी, विधवा श्री दलीप सिंह	मदानाकलां	झज्जर	रबी, 1973 से खरीफ, 1979	150
					रबी, 1980	300

क्रमांक 590-ज-II-80/32851.--श्री रघुवीर सिंह, पुत्र श्री मन्न सिंह, मकान नं० 255, माडल टाउन, करनाल, तहसील व जिला करनाल की दिनांक 19 नवम्बर, 1979 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(I) तथा (3)(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रघुबीर सिंह को मुक्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब/हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7908-जे.न.(I)-66/16747-7, दिनांक 18 जुलाई, 1966 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती तारावती के नाम खरीफ, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।